तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र संख्या 15 / 2018 GCMS NO. 2018/00038 उनवानी राजू बनाम फूलाराम आदि अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955	
08.08.2024	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली मे सुनवाई हेतु अधिवक्ता उभय पक्षकारान को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर आये। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली की गत आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 7 से 13, 15 से 32 की तामील करवाये जाने हेतु बार–बार आदेश दिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थी ने पार्थना पत्र दायरी से लेकर आज तक अप्रार्थी संख्या 7 से 13, 15 से 32 की तामील नही करवाई है। इससे यह जाहिर होता है कि प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 7 से 13, 15 से 32 की तामील कराने मे कोई रूची नही है। बार बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी पूर्व आदेशिकाओ की पालना बिना किसी उचित कारण के जानबूझ के नही की जा रही है। अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र तामील के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 8/8/24 (सविता शर्मा) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0) **उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी**	